अपीलीय सिविल

शमशेर बहादुर और प्रेम चंद पंडित के समक्ष जे.जे.

अमर नाथ, - *अपीलकर्ता*

बनाम

सुंदर लाल और अन्य, *–उत्तरदाता।*

नियमित प्रथम अपील संख्या 48 और 1956

12 जुलाई, 1967

अपील–मामले के रिकॉर्ड अपूरणीय रूप से खो गए–रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण–कैसे किया जाए–इस मामले में अपीलकर्ता का कर्तव्य बताया गया।

निर्णय यह है कि जहाँ किसी मामले के रिकॉर्ड अपील में अपूरणीय रूप से खो जाते हैं, वहां अपीलीय न्यायालय में उस न्यायालय के रिकॉर्ड को पुनर्निर्माण करने की अंतर्निहित शक्ति होती है जिससे अपील उसे प्राप्त होती है। लेकिन यह असफल पक्ष का कर्तव्य बनता है कि वह अपील किए गए निर्णय को हटाए और इसके आगे, उसका यह कर्तव्य है कि वह उन मामलों के संबंध में द्वितीयक प्रमाण प्रस्तुत करे जिन पर वह भरोसा करता है, और अंत में, यह कि सफल पक्ष को उस डिक्री के फल से वंचित नहीं किया जा सकता जिससे अपील की गई है। गवाहों के बयानों को नए सिरे से दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पुनः सुनवाई के समान होगा जिसे न्यायालयों ने इस तरह के मामलों में बार-बार अनुचित ठहराया है।

उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, जगाधरी के न्यायालय द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 1955 को जारी किए गए डिक्री से पहली अपील, जिसमें वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया और पक्षकारों को अपने-अपने खर्चे वहन करने को कहा गया।

रूप चंद, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

आनंद सकुप, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर एस मित्तल, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

शमशेर बहादुर, जे.–यह अमर नाथ की अपील है, जो वादी हैं, उनके द्वारा दायर मुकदमे का फैसला, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 24 मार्च, 1938 और 28 जुलाई, 1942 को किए गए परिवार के विभाजन उन पर बाध्यकारी नहीं थे, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, जगाधरी द्वारा 30 नवंबर, 1955 को खारिज कर दिया गया था।

सुंदर लाल और बृज लाल, प्रतिवादी 1 और 2, क्रमशः, अमर नाथ वादी के भाई हैं, जबकि प्रतिवादी 3 और 4 चौथे डिग्री के संबंधी हैं और प्रतिवादी 5 वादी के पांचवे डिग्री का संबंधी है। राजा राम और मणि राम, प्रतिवादी 6 और 7, क्रमशः, उस संपत्ति के एलिएनी हैं जो वादी के हिस्से में आई थी। निम्नलिखित वंशावली-सारणी वादी और उसके संबंधी-प्रतिवादियों के बीच के संबंधों को समझने में सहायक होगी:-

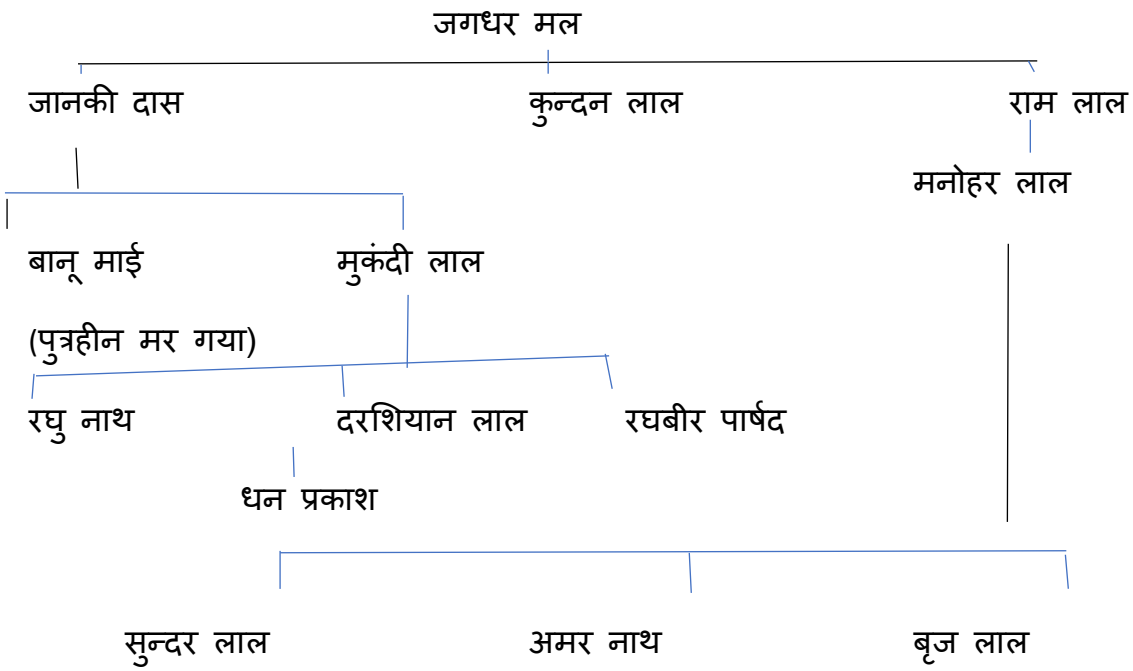

कुल मिलाकर 10 संपत्तियाँ हैं जो विवाद का विषय हैं, इनमें से 3 हवेलियाँ जगाधरी शहर की एक ही गली में हैं, जगाधरी शहर के आबादी में एक दुकान, यमुनानगर में जगाधरी तहसील की आबादी में एक इहाता की खाली जगह, जगाधरी शहर में एक बैलखाना और जगाधरी शहर की आबादी में चार घर भी हैं। वादी के अनुसार, ये संपत्तियाँ जगधर मल, आम वंशज, द्वारा खरीदी गई थीं, जिन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर हिंदू संयुक्त परिवार के धन से इन्हें खरीदा था, जो अब, उनके अनुसार, वादी और प्रतिवादी 1 से 5 तक का होता है। वादी का दावा है कि जब 24 मार्च, 1938 को पहला विभाजन वादी और पहले पांच प्रतिवादियों के बीच किया गया था, वादी "मानसिक संतुलन में नहीं थे"। इस विभाजन के अनुसार, वादी और उसके दो भाइयों–सुंदर लाल और बृज लाल, प्रतिवादियों–को हवेली का 2/3 भाग, जो संपत्ति संख्या 3 है, और बैलखाना, जो संपत्ति संख्या 6 के रूप में वर्णित है, आवंटित किया गया था। प्रतिवादियों 3 से 5 के अनुसार, वादी और

उसके दो भाइयों ने संपत्तियों को लेकर विवाद उठाया, जो हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्तियाँ नहीं थीं, और इस विवाद को मित्रतापूर्ण तरीके से हल करने के लिए 24 मार्च, 1938 को एक सुलहनामा या समझौता पत्र निष्पादित किया गया था। इन प्रतिवादियों की यह दलील वादी और उसके दो भाइयों को मिलने वाली संपत्तियों के असमान रूप से छोटे हिस्से को समझाएगी। इसके बाद 28 जुलाई, 1942 को, हवेली और बैलखाना का दो-तिहाई भाग वादी और पहले दो प्रतिवादियों के बीच विभाजन का विषय बना। इस हवेली के दो कोठे और बैलखाना का दो-तिहाई हिस्सा वादी को दिया गया था। बैलखाना को 22 अगस्त, 1946 को वादी, उसकी पत्नी और प्रतिवादी 2 की ओर से प्रतिवादी संख्या 6 (राजा राम) को बेचा गया था, और बाद में प्रतिवादी संख्या 6 ने बैलखाना को प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में निपटान किया। वादी का मामला, जैसा कि वाद में दर्शाया गया है, संक्षेप में, यह था कि जो संपत्तियाँ हिंदू संयुक्त परिवार की थीं, उनके संबंध में विभाजन और समझौता उन पर बाध्यकारी नहीं थे, वे संबंधित अवधियों में कानूनी अक्षमता के अधीन थे, और, परिणामस्वरूप, उन्होंने यह घोषणा की कि, अभी भी सह-भागी होने के नाते, वे हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से के हकदार हैं।

मुकदमे के विरोध में प्रतिवादी 2, 3, 4 और 5 द्वारा लिखित बयान दाखिल किए गए थे। दूसरे प्रतिवादी, जो वादी के अपने भाई हैं, ने इनकार किया कि अमर नाथ एक मूर्ख थे और दूसरी ओर यह बताया कि वे (अमर नाथ) "दस्तावेज़ों के पंजीकरण के समय स्वस्थ बुद्धि का आनंद ले रहे थे" जिन्हें अब चुनौती दी जा रही है। इस प्रतिवादी के अनुसार, केवल संपत्तियां संख्या 1 से 3, जो हवेलियाँ हैं, पैतृक थीं, जबकि संपत्तियां संख्या 2, 5 और 6 कुंदन लाल के नाम पर थीं, संपत्ति संख्या 4 जानकी दास और कुंदन लाल के नाम पर थी, और संपत्ति संख्या 7 सुंदर लाल, पहले प्रतिवादी के नाम पर थी, मंगल सैन द्वारा उनके पक्ष में किए गए वसीयतनामे के द्वारा। संपत्ति संख्या 8 को दूसरे प्रतिवादी ने राज कुमार से खरीदा था, और इसी प्रकार, संपत्ति संख्या 9 को 4 मई, 1951 के पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा उनके पक्ष में बंधक किया गया था और संपत्ति (संख्या 9) को छुड़ाया गया था, इसलिए अब यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। संपत्ति संख्या 10 को प्रतिवादी 3 से 5 ने खरीदा था। पहली तीन संपत्तियों के बारे में विवाद होने के कारण, इस प्रतिवादी ने दावा किया कि 24 मार्च, 1938 को आपसी समझौता हुआ जिसमें हवेलियों में से एक का एक हिस्सा और बैलखाना उन्हें और उनके दो भाइयों को दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने दूसरे प्रतिवादी के साथ मिलकर वादी के मुकदमा चलाने के अधिकार को इनकार किया। यह दावा किया गया था कि वादी न तो पागल थे और न ही मूर्ख थे और संबंधित समय में अपना खुदरा व्यापार कर रहे थे। वादी ने दुकान के मालिकों के साथ लंबी मुकदमेबाजी की, जिसमें वे किरायेदार थे, और इस मामले का साथ ही अन्य मामलों का भी पीछा कर रहे थे। 1940 में वादी ने इस संपत्ति को अपनी पत्नी के पक्ष में उपहार में दिया और उसके नाम पर अपने भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर किए, और यह मुकदमेबाजी 1951 में उनके खारिज होने में समाप्त हुई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी 3 से 5 ने संपत्ति के संयुक्त परिवार के स्वरूप का इनकार किया, लेकिन, विवाद उठाए जाने के कारण, एक समझौता किया गया था।

पक्षकारों की याचिकाओं के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए थे: –

(1) क्या इस मुकदमेबाजी के पक्षकार, प्रतिवादी 6 से 7 को छोड़कर, एक हिंदू संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं थे?

(2) क्या पूरी वाद संपत्ति उपरोक्त हिंदू संयुक्त परिवार के कब्जे में थी?

(3) क्या प्रतिवादियों के लिखित बयानों में उल्लिखित तरह के विभाजन उपरोक्त संपत्ति के संबंध में वास्तव में हुए थे और कौन सी संपत्ति किस पक्षकार को मिली और इसका क्या प्रभाव था?

(4) यदि मुद्दा संख्या 3 सिद्ध होता है, तो क्या उन विभाजनों और विवादित बिक्री वाद में आरोपित अनुसार अवैध और शून्य हैं?

(5) वाद संपत्ति में वादी का क्या हिस्सा है?

(6) क्या प्रतिवादियों को धारा 35-ए, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष लागत का अधिकार है? यदि हां, तो कितनी राशि?

(7) क्या उपरोक्त विभाजनों पर अमल किया जा रहा था? यदि हां, तो किस प्रकार की राहत?

(8) राहत।

मैंने पक्षकारों की याचिकाओं का कुछ विस्तार से उल्लेख किया है, जैसा कि मैं विद्वान न्यायाधीश के निर्णय का भी करूँगा, क्योंकि मामले का अधिकांश रिकॉर्ड खो गया है और इसे पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। पहले मुद्दे पर, विद्वान न्यायाधीश का निष्कर्ष वादी के खिलाफ है। हिंदू कानून में एक हिंदू संयुक्त परिवार के अस्तित्व के पक्ष में एक प्रेसम्पशन के बारे में, जहाँ तक पिता और उसके पुत्रों का संबंध है, कोई विवाद नहीं हो सकता। विद्वान न्यायाधीश ने पाया है कि वादी के साथ प्रतिवादियों 3 से 5 के संयुक्तता का कोई प्रेसम्पशन नहीं हो सकता है जो चौथी या पांचवी डिग्री में संबंधित हैं। वंशावली-सारणी का संक्षिप्त परीक्षण दर्शाता है कि जबकि सुंदर लाल और बृज लाल को अमर नाथ के साथ संयुक्त माना जा सकता है, रघुनाथ, रघबीर परशाद और धन पारकाश के संबंध में ऐसा निष्कर्ष प्रमाण से सकारात्मक रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए। इस संबंध में मुल्ला के हिंदू कानून, 13वें संस्करण के पृष्ठ 259 पर अनुच्छेद 233 का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ कहा गया है।

"सामान्यतः, 'हर हिंदू परिवार की सामान्य स्थिति संयुक्त होती है। यह माना जाता है कि हर ऐसा परिवार संयुक्त होता है..... विभाजन के प्रमाण के अभाव में, यही कानूनी प्रेसम्पशन है..... पिता और पुत्रों के मामले में संयुक्तता का प्रेसम्पशन सबसे बड़ा होता है . . .

> प्रेसम्पशन भाइयों के मामले में चचेरे भाइयों के मामले की तुलना में अधिक मजबूत होता है, और जितना आप परिवार के संस्थापक से दूर जाते हैं, प्रेसम्पशन उतना ही कमजोर होता जाता है। इसका कारण यह है कि भाई ज्यादातर अविभाजित होते हैं; दूसरे चचेरे भाई आमतौर पर अलग होते हैं।"

विद्वान न्यायाधीश ने बनारसी दास, कृष्ण चंदर और बानू मल के बयानों पर भी भरोसा किया है, साथ ही प्रतिवादियों, सुंदर लाल, बृज लाल और रघुनाथ की गवाही पर भी, जिन्होंने यह बताया है कि मुकदमेबाजी के पक्षकार, प्रतिवादी 5 और 7 को छोड़कर, एक हिंदू संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं थे।

वादी-अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री रूप चंद का कहना है कि विद्वान न्यायाधीश ने इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया है कि भाइयों के मामले में प्रेसम्पशन अधिक मजबूत होता है और उन्होंने हमसे यह अनुमान लगाने को कहा है कि कम से कम वादी और उसके दो भाइयों, जो प्रतिवादी 1 और 2 हैं, के मामले में यह प्रेसम्पशन लागू होना चाहिए। विभाजन के दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर, ऐसे प्रेसम्पशन की ताकत बहुत कमजोर हो जाती है और इसके विपरीत किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह माना जाना चाहिए कि वादी और प्रतिवादी मुकदमे की शुरुआत के समय एक हिंदू संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं थे।

दूसरे मुद्दे के संबंध में, विद्वान न्यायाधीश ने पाया है कि घर संख्या 7 सुंदर लाल की अनन्य संपत्ति है, जिसे उन्होंने मंगल सैन द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे (प्रदर्शनी D/6A) द्वारा प्राप्त किया था। संपत्ति संख्या 8 को प्रतिवादी 2 का होना पाया गया है। अदालत ने पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि विवादित संपत्ति जगधर मल द्वारा प्राप्त की गई थी और संयुक्त परिवार के नाभिक धन से खरीदी गई थी। केवल हवेली संख्या 2 को पक्षकारों के बीच संयुक्त पाया गया है। तीसरे मुद्दे पर अदालत ने पाया कि सुलहनामा (प्रदर्शनी D. 3) 24 मार्च, 1938 को एक समझौता कराया गया था जिसके द्वारा हवेली और बैलखाना का दो-तिहाई हिस्सा वादी और पहले दो प्रतिवादियों के हिस्से में आया था, और यह कि 28 जुलाई, 1942 की दस्तावेज़ (प्रदर्शनी D. 2) ने वादी और उसके दो भाइयों के बीच विभाजन किया था। वादी द्वारा अभियोजित पागलपन के संबंध में, न्यायालय का निष्कर्ष मुद्दा संख्या 4 के तहत यह है कि जबकि निर्णय (प्रदर्शनी P/1-2) दिखाते हैं कि वादी 12 फरवरी, 1940 को पागल थे, यह पागलपन 1938 और 1942 में निष्पादित विवादित दस्तावेजों के समय स्थापित नहीं किया गया था। इन निष्कर्षों पर; वाद संपत्ति में वादी के हिस्से का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, जो मुद्दा संख्या 5 का विषय है। सातवें मुद्दे पर, उप-न्यायाधीश ने पाया कि मुकदमे के समय तक विभाजनों पर अमल किया जा रहा था। इन निष्कर्षों के दृष्टिकोण से, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रतिवादियों के कुछ प्रारंभिक आपत्तियों के संबंध में, जो मुकदमे को इसके वर्तमान रूप में बनाए रखने, अदालत शुल्क और न्यायालय क्षेत्राधिकार के

उद्देश्यों के लिए मुकदमे के मूल्यांकन और पक्षकारों के गलत जोड़ के बारे में थीं, उन्हें वादी के पक्ष में प्रारंभिक मुद्दों के रूप में निर्णीत किया गया था।

अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री रूप चंद का मुख्य तर्क यह है कि मामले के रिकॉर्ड खो जाने के कारण, मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने वादी को इसके पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया। यह बताया गया है कि पूरे मौखिक साक्ष्य, वादी के दस्तावेजी साक्ष्य और प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में छापा नहीं गया है, क्योंकि ये खो जाने के कारण पाए गए थे। केवल याचिकाएँ, निर्णय और प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए मामले के मुख्य दस्तावेज मुद्रित पेपर बुक में शामिल किए गए हैं। इस आपत्ति के संबंध में, नरुला जी. द्वारा 18 मार्च, 1966 को पारित आदेश का उल्लेख करना उचित होगा। इसके परीक्षण से पता चलता है कि वादी द्वारा एक समय पर दायर की गई अपील को टेक चंद जे. द्वारा 13 जून, 1957 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था, और अंततः उसी विद्वान न्यायाधीश द्वारा 13 अक्टूबर, 1958 को इसे बहाल किया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड को मुद्रित नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य गायब थे और, अंततः, मामले की फाइल को उप-न्यायाधीश, जगाधरी द्वारा इस न्यायालय को 17 सितंबर, 1965 को पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया था। रिकॉर्ड के नुकसान के लिए एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था और रिकॉर्ड के नुकसान की जिम्मेदारी तय करने के लिए कुछ कार्यवाही चली गई थी। उप-न्यायाधीश, जब रिकॉर्ड को पुनर्निर्मित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बताया कि स्थानीय पक्षों के अधिवक्ताओं ने सहयोग नहीं किया और उनके पास ब्रीफ्स नहीं थे। फिर पक्षों द्वारा नियुक्त हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से संपर्क किया गया और श्री आनंद स्वरूप, प्रतिवादी-प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता, ने 1938 और 1942 के पंजीकृत दस्तावेजों की कुछ प्रमाणित प्रतियों सहित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए। नरुला जी. ने 11 मार्च, 1966 को आदेश दिया कि फाइल के पुनर्निर्माण के काम में सहायता के लिए श्री आनंद स्वरूप और श्री लखनपाल, पक्षों के अधिवक्ताओं को नोटिस भेजे जाएँ। सहयोग की कमी थी और पक्षकारों, विशेष रूप से वादी ने, द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकृति के लिए मामले का पीछा नहीं किया। जिला न्यायाधीश को नरुला जी. द्वारा निर्देश दिया गया था कि वे जितना संभव हो रिकॉर्ड्स का पुनर्निर्माण पूरा करें और 28 मई, 1966 को या उससे पहले उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजें। च. रूप चंद, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, को निर्देश दिया गया था कि वे चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियों को प्राप्त करने और फाइल करने की व्यवस्था करें। इस निर्देश के अनुसार, 19 मई 1966 को उप-न्यायाधीश; जगाधरी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि "पक्षों के अधिवक्ताओं की सहायता से गायब दस्तावेजों के पुनर्निर्माण की कोशिश की गई थी", और उन दस्तावेजों के विवरण दिए गए थे जो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। वादी, जिनकी ओर से फाइल के दोषपूर्ण पुनर्निर्माण के बारे में शिकायत की गई है, उप-न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने अपने दस्तावेज श्री मदन लाल सक्सेना, अधिवक्ता, चंडीगढ़ को सौंप दिए थे, जो अब प्रैक्टिस छोड़ चुके

हैं और जिनका ठिकाना अज्ञात है। पक्षकारों ने कोई द्वितीयक साक्ष्य नहीं लीड किया, और उन दस्तावेजों या उनकी प्रतियों में से जो उन्हें प्रस्तुत की गई थीं, उन्हें मुद्रित पेपर बुक में शामिल किया गया था।

इस विषय पर कानून के संबंध में, सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर बार्न्स पीकॉक, सी.जे., और जैक्सन, जे., द्वारा बाबू गुरु दयाल सिंह बनाम दुर्बारी लाल तेवारी[1] मामले में दिए गए सबसे पुराने निर्णयों में से एक का उल्लेख किया जा सकता है। उस मामले में एक डिक्री प्राप्त करने के बाद, जिससे अपील की गई थी, रिकॉर्ड पहली से दूसरी अदालत में परिवहन के दौरान अपूरणीय रूप से खो गया था। उच्च न्यायालय ने निचली अपीलीय अदालत को पूरे रिकॉर्ड को बनाने वाले कागजातों के दोनों पक्षों से द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया, और जैक्सन, जे., ने अदालत के लिए बोलते हुए (सर बार्न्स पीकॉक, सी.जे., सहमति देते हुए) कहा :-

> "इस तरह की स्थिति में, न्यायालय को दो आदेशों में से चुनना होता है, अर्थात्, या तो निचले न्यायालय को यह निर्देश देना कि वह मूल रिकॉर्ड की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य को प्राप्त करे, जैसा भी उपलब्ध हो, या एक पूरी तरह से नए मुकदमे का आदेश देना।

इन दोनों पाठ्यक्रमों में से दूसरे के प्रति यह स्पष्ट आपत्ति है कि वादी, जिसे सामान्यतः अपना मामला सिद्ध करना पड़ता है, और जिसने इस उदाहरण में पहली अदालत की डिक्री प्राप्त की थी, उसे फिर से उसी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। . .

मेरे विचार से यह प्रतीत होता है कि वादी जो एक डिक्री का मालिक है, जो जब तक अपील पर वैध रूप से उलटा नहीं जाता, अंतिम है, उसे किसी दुर्घटना के कारण, जिसके लिए वह दोषी नहीं है, उसके मुकदमे के परीक्षण से पहले की अपेक्षा खराब स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। और, इसलिए, जबकि मैं दोनों पक्षों को यह करने की अनुमति दूंगा कि वह अपीलीय न्यायालय को अपील से वैध रूप से निपटने के लिए सक्षम करे, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, न ही वादी को उसकी डिक्री के फल से पूरी तरह से वंचित करूंगा।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय का अगला निर्णय राज गिर सहाय बनाम ईश्वरधरी सिंह और अन्य[2] है। यह एक डिवीजन बेंच का निर्णय है, और, प्रमुख निर्णय में, अशुतोष मुखर्जी, जे., ने इस विषय पर अंग्रेजी और अमेरिकी कानून पर चर्चा के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी की (पृष्ठ 248 पर): —

> "लेकिन यद्यपि एक न्यायालय के पास न्यायिक रिकॉर्ड के नुकसान या नष्ट होने की स्थिति में उस रिकॉर्ड को पुनर्स्थापित करने की अंतर्निहित शक्ति होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण से पहले क्रियान्वयन जारी नहीं किया जा सकता। यह और भी स्पष्ट है कि, खोए हुए न्यायिक रिकॉर्ड की सामग्री को साबित करने के लिए,

---

[1] 7 सदरलैंड का साप्ताहिक रिपोर्टर 18.

[2] (1910) 11 कैल. एल..जे. 243.

द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, और स्वीकार्य द्वितीयक साक्ष्य की प्रकृति के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है।"

सदासिव एयर, ज., ने मद्रास के मामले कामाक्षम्मा बनाम सम्राट[3] में यह भी कहा कि 'कोर्ट के पास न्यायिक रिकॉर्ड के खो जाने या नष्ट हो जाने के मामले में उस रिकॉर्ड को पुनर्स्थापित करने का अंतर्निहित अधिकार है और जब जो खो गया है वह निर्णय है, तो न्यायाधीश के लिए उसे अपनी स्मृति और सामने रखी सामग्रियों से पुनः लिखना और रिकॉर्ड पर रखना संभव है।' श्री रूप चंद ने मद्रास हाईकोर्ट के एक बेंच निर्णय पर भरोसा किया जिसमें मुख्य न्यायाधीश, सर वाल्टर श्वाबे, ओल्डफील्ड और रामेशम, जे.जे., द्वारा मराकरुट्टी बनाम वीरन कुट्टी [4]मामले में सभी संबंधित प्राधिकरणों की समीक्षा की गई थी, जिसमें उन निर्णयों का भी समावेश था जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। श्वाबे, सी.जे., ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि:-

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उसके लिए अपील किए गए मामले के रिकॉर्ड को पुनर्निर्माण करने का अंतर्निहित अधिकार है;

(2) अपीलकर्ता को, अपनी अपील सुनवाई के लिए, न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि उस मामले का रिकॉर्ड क्या है जिसमें उसे असफलता मिली है;

(3) न्यायालय को मामले को फिर से सुनने की जरूरत नहीं है। प्रतिवादी को उस निर्णय का लाभ मिलेगा जो उसने मूल सुनवाई में अपने पक्ष में प्राप्त किया है;

(4) रिकॉर्ड को पुनर्निर्माण करते समय, न्यायालय को फिर से सुनवाई करने के करीब जाना होगा, लेकिन न्यायालय को हमेशा यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा कि पक्षों के अधिकार क्या थे नहीं, बल्कि नष्ट किए गए मुकदमे का रिकॉर्ड क्या था और उस रिकॉर्ड पर, जब पुनर्निर्मित हो जाए, उसे उन सामान्य सिद्धांतों पर कार्य करना होगा जिन पर वह कार्य करता अगर मूल रिकॉर्ड उसके सामने होता;

(5) यह देखने योग्य है कि अपीलीय न्यायालय में, निचले न्यायालय में क्या हुआ था इसका सबसे अच्छा प्रमाण, अगर वह संरक्षित हो गया है, तो जिला मुंसिफ या अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय होगा, जिसने मामले को सुना था और निष्कर्ष दर्ज किए थे; और अंत में

(6) यह कि अपील किए गए निर्णय में निर्धारित मामले का बयान, प्राप्त किया जा सकने वाला सबसे अच्छा साक्ष्य होगा और सभी संभावना में, किसी अन्य से बेहतर होगा, क्योंकि वह समकालीन है उसके सामने क्या हुआ था।

इन प्राधिकरणों का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि असफल पक्ष की यह कर्तव्य बनता है कि वह अपील किए गए निर्णय को परिवर्तित करे और, इसके अतिरिक्त, यह उसका कर्तव्य है कि

---

[3] (1913) 25 मैड एल.जे. 445.

[4] आई.एल.आर. (1923) 46 मैड 679.

वह उन मामलों पर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करे जिन पर वह भरोसा करता है और, अंततः, यह कि सफल पक्ष को उस डिक्री के फलों से वंचित नहीं किया जा सकता है जिससे अपील की गई है।

जबकि प्रतिवादियों ने दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियों के रूप में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वादी इस न्यायालय में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है। श्री रूप चांद ने अमर नाथ के पागल होने की स्थापना के लिए प्रदर्शनी P. 1 और P. 2 पर भरोसा किया है। जैसा कि मुकदमे के न्यायालय के निर्णय में देखा गया है, ये दस्तावेज़ केवल यह दिखाते हैं कि वर्ष 1940 में अमर नाथ इस विकलांगता से ग्रस्त थे, लेकिन, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश ने सही तरीके से देखा है, यह साबित करने के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि अमर नाथ 1938 या 1942 में अपने मामलों को समझने या उन्हें संचालित करने में असमर्थ थे। इन वर्षों में वह सभी मोर्चों पर लंबा मुकदमा चला रहे थे, और, मुकदमे के न्यायाधीश द्वारा पेश किए गए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिनकी उपस्थिति में इसकी जांच की गई थी, उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं जो उनके निर्णय में उल्लिखित दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित हैं। यह बेमानी है कि श्री रूप चांद का तर्क है, जैसा कि उन्होंने किया है, कि चूंकि वह गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की प्रतियां नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए उन्हें उन गवाहों को बुलाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी जो अभी भी जीवित हैं। वादियों की ओर से कभी भी ऐसा अनुरोध नहीं किया गया था, और वास्तव में, अधीनस्थ न्यायाधीश और हाईकोर्ट ने वादी को उसकी स्थिति स्पष्ट करने और रिकॉर्ड को पुनर्निर्माण करने में न्यायालयों की मदद करने के लिए बार-बार अवसर दिए हैं। इस स्तर पर श्री रूप चांद का यह तर्क निरर्थक है, जब रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण हो चुका है, कि अलग प्रक्रिया अपनाने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते थे। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि गवाहों के बयानों को फिर से दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक फिर से सुनवाई के बराबर होता, जिसे न्यायालयों ने इस तरह के मामलों में बार-बार निंदा की है। यदि वादी ने सबसे पहले अवसर पर ऐसा सुझाव दिया होता। इस पर विचार करने लायक हो सकता था, लेकिन इसके लिए समय और स्थान अब चले गए हैं और इस चरण में यह न्यायालय इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

ट्रायल जज द्वारा अपने निर्णय में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने वादी का मुकदमा खारिज किया है, उनका संक्षिप्त उल्लेख करना शेष है। पेपर-बुक के पृष्ठ 32 पर पहला दस्तावेज़ एक वसीयत (प्रदर्शनी संख्या 1) है जो श्री मंगल साईं ने 12 सितंबर, 1937 को सुंदर लाल, प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित की थी। इस वसीयत के निष्पादन के लिए पर्याप्त सबूत दिए गए थे, और यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है कि इसे वैध रूप से विचार में नहीं लिया गया है। पेपर बुक के पृष्ठ 44 पर दस्तावेज़ (प्रदर्शनी 4) 4 मार्च, 1938 का सुलेहनामा है। कुछ विवादों को पक्षों द्वारा उठाया गया था, और इसे सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा हल करने का निर्णय लिया गया था। इस पारिवारिक समझौते को सुलेहनामा के रूप में, उस समय उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित, एक वैध रूप से साबित दस्तावेज़ माना गया है और हमें इसके संभावित प्रभाव के बारे में ट्रायल जज द्वारा पहुँचे निष्कर्ष से अलग होने का कोई

कारण नहीं है। यही टिप्पणियाँ 28 जुलाई 1942 के विभाजन दस्तावेज़ पर लागू होती हैं (चिह्नित संख्या 2) पेपर-बुक के पृष्ठ 35 पर। पेपर-बुक के पृष्ठ 39 पर दस्तावेज़ (चिह्नित संख्या 3) 4 जून, 1952 को बेनी प्रशाद और राज कुमार द्वारा ब्रिज लाल (प्रतिवादी संख्या 2) के पक्ष में निष्पादित एक पंजीकृत बिक्री दस्तावेज़ है और यह दूसरे प्रतिवादी द्वारा उसके लिखित वक्तव्य में उठाए गए तर्कों का समर्थन करता है। 2 अगस्त, 1946 का एक अन्य बिक्री दस्तावेज़ (चिह्नित संख्या 5) पेपर-बुक के पृष्ठ 50 पर ब्रिज लाल (प्रतिवादी संख्या 2) और अन्य द्वारा दातु राम और एक अन्य के पक्ष में निष्पादित किया गया था। प्रदर्शनी P. 1 और P. 2, जो पेपर-बुक में जगह नहीं पा सके हैं, को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है, और श्री रूप चांद द्वारा अन्य किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन का शिकायत नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप, हमें विद्वान न्यायाधीश के निष्कर्षों और पाए गए तथ्यों से अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता और हम तदनुसार, प्रतिवादियों के पक्ष में उनके द्वारा प्रदान की गई डिक्री की पुष्टि करेंगे। परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देंगे।

प्रेम चंद पंडित, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा